

अनुदान संख्या 35 – अप्रत्यक्ष कर
GRANT No. 35 - INDIRECT TAXES

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित—	Charged-	50,00	19,14	-30,86
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	5861,44,00	7458,37,00	7041,19,63
पूरक	Supplementary	1596,93,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			-417,17,37
				230,46,50
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	228,07,00	391,65,00	349,00,00
पूरक	Supplementary	163,58,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			-42,65,00
				30,00,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में, ₹10.00 लाख का विनियोग मुख्य शीर्ष “2037” – “सीमा शुल्क” के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of ₹10.00 lakhs remained wholly unutilized in one case under Major Head “2037” - “Customs”.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹41717.37 लाख) जुलाई, 2017, दिसंबर, 2017 तथा

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹41717.37 lakhs)

मार्च, 2018 में प्राप्त ₹159693.00 लाख के पूरक अनुदान का 26 प्रतिशत तथा कुल स्वीकृत प्रावधान का 6 प्रतिशत थीं।

constituted 26 percent of the supplementary grants of ₹159693.00 lakhs obtained in July, 2017, December, 2017 and March, 2018 and 6 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः—

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2037"	Major Head "2037"			
सीमा शुल्क	Customs			
मू.	O.	163048.00		
पू.	S.	25000.00	184549.70	178558.44
पु.	R.	-3498.30		-5991.26
मुख्य शीर्ष "2038"	Major Head "2038"			
संघ उत्पाद शुल्क	Union Excise Duties			
मू.	O.	421996.00		
पू.	S.	134652.00	537100.80	524967.47
पु.	R.	-19547.20		-12133.33
मुख्य शीर्ष "2216"	Major Head "2216"			
आवास	Housing			
मू.	O.	1100.00		
पू.	S.	40.00	1140.00	593.72
				-546.28

(I) ₹1.00 लाख का प्रावधान निम्नलिखित एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹1.00 lakh remained wholly unutilised under one head.

(II) निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक पूर्णतया अप्रयुक्त रहाः—

(II) Supplementary grants obtained under the following major heads remained wholly unutilised as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष "2038" –

(क) "निदेशन और प्रशासन" –

(i) "निष्पादन प्रबंधन" – ₹9218.80 लाख के मूल प्रावधान को ₹463.03 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹9681.83 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹2528.08 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों को न भरे जाने, किराया संशोधन मामलों का निपटान न होने, सरकारी वकीलों से विधिक बिलों की कम प्राप्ति तथा कार्यालय संबंधी सामानों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(ii) "राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा स्वापक अकादमी" – ₹13566.90 लाख के मूल प्रावधान को ₹730.55 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹14297.45 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹5036.34 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों को न भरे जाने, कम दौरे किए जाने, कम प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित किए जाने, किराया संशोधन मामलों का निपटान न होने तथा कार्यालय संबंधी सामानों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(iii) "केंद्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय" – ₹10154.50 लाख के मूल प्रावधान को ₹377.53 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹10532.03 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹1630.65 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों को न भरे जाने, प्रतिफल मामलों का निपटान न होने तथा कार्यालय संबंधी मदों की कम खरीद किए जाने के कारण हुई।

(A) Major Head "2038" -

(a) "Direction and Administration" -

(i) "Performance Management" - the original provision of ₹9218.80 lakhs was augmented to ₹9681.83 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹463.03 lakhs. However, there was a saving of ₹2528.08 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts, non-settlement of rent revision cases, less receipt of legal bills from Government counsels and requirement of less funds towards office related articles.

(ii) "National Academy of Customs, Excise and Narcotics (NACEN)" - the original provision of ₹13566.90 lakhs was augmented to ₹14297.45 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹730.55 lakhs. However, there was a saving of ₹5036.34 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken, conduction of less training and workshops, non-settlement of rent revision cases and requirement of less funds towards office related articles.

(iii) "Directorate General of Central Excise Intelligence" - the original provision of ₹10154.50 lakhs was augmented to ₹10532.03 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹377.53 lakhs. However, there was a saving of ₹1630.65 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts, non-settlement of reward cases and less purchase of office related items.

(खा) मुख्य शीर्ष “2216” – “अन्य आवास – अनुरक्षण और मरम्मत – अन्य अनुरक्षण व्यय” – ₹1100.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹40.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1140.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹546.28 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिहायशी आवासों के अनुरक्षण के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष “2037” –

(क) “राजस्व-सह-आयात/निर्यात व्यापार नियंत्रण कार्य – समुद्री सीमा शुल्क – मुख्य पत्तन” – ₹54018.57 लाख के मूल प्रावधान को ₹9271.79 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹63290.36 लाख कर दिया गया जो, तथापि, ₹1872.14 लाख की सीमा तक रिक्त पदों को न भरे जाने, छुट्टी यात्रा रियायत/वर्दी भत्ते के दावों का समाशोधन न होने तथा कम न्यायालय शुल्क जमा करने के लिए रजिस्ट्री से माँग प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ख) “निवारक तथा अन्य कार्यकलाप” –

(i) “समुद्री सीमा शुल्क – मुख्य पत्तन” – ₹81106.08 लाख के मूल प्रावधान को ₹14769.52 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹95875.60 लाख कर दिया गया जो, तथापि, ₹2816.80 लाख की सीमा तक रिक्त पदों को न भरे जाने, किराया दरों में संशोधन न होने, आईटी उपकरणों की खरीद के लिए कम निधियों की आवश्यकता और नैमित्तिक मजदूरों की कम तैनाती किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(B) Major Head “2216” - “Other Housing - Maintenance and Repairs - Other Maintenance Expenditure” - the original provision of ₹1100.00 lakhs was augmented to ₹1140.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹40.00 lakhs. However, there was a saving of ₹546.28 lakhs (including supplementary grant) - due to requirement of less funds towards maintenance of residential accommodation.

(III) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head “2037” -

(a) “Revenue-cum-Import/Export Trade Control Functions - Sea Customs-Major Ports” - the original provision of ₹54018.57 lakhs was augmented to ₹63290.36 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹9271.79 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹1872.14 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, non-clearance of claims towards leave travel concession/uniform allowance and non-receipt of demand from Registry for deposit of Deficit Court Fees.

(b) “Preventive and Other Functions” -

(i) “Sea Customs-Major Ports” - the original provision of ₹81106.08 lakhs was augmented to ₹95875.60 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹14769.52 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹2816.80 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, non-revision of rent rates, requirement of less funds towards purchase of IT equipments and less deployment of casual labourers.

(ii) “राजस्व आसूचना निदेशालय” – ₹13490.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹958.69 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹14448.69 लाख कर दिया गया जो, तथापि, ₹686.23 लाख की सीमा तक रिक्त पदों को न भरे जाने, किराया संशोधन मामलों का निपटान न होने, मरम्मत कार्य पूरा न होने और आईटी उपकरणों की खरीद के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ii) “Directorate of Revenue Intelligence” - the original provision of ₹13490.00 lakhs was augmented to ₹14448.69 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹958.69 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹686.23 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, non-settlement of rent revision cases, non-completion of repairing work and requirement of less funds towards purchase of IT equipments.

(खा) मुख्य शीर्ष “2038” –

(B) Major Head “2038” -

(क) “निदेशन और प्रशासन – प्रचार तथा लोक संबंध निदेशालय (सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क)” – ₹13951.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹25000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹38951.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, ₹13374.37 लाख की सीमा तक विज्ञापन तथा प्रचार के लिए कम निधि की आवश्यकता, आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर निर्वाचन आयोग से अनापत्ति प्रमाणपत्र न मिलने के कारण, जीएसटी कानून के प्रावधानों में नियमित बदलावों तथा विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा बड़े/महत्वपूर्ण समाचार/व्यवसाय चैनलों को पैनलबद्ध न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(a) “Direction and Administration - Directorate of Publicity and Public Relations (Customs and Central Excise)” - the original provision of ₹13951.00 lakhs was augmented to ₹38951.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹25000.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹13374.37 lakhs - due to requirement of less funds towards advertising and publicity, non-receipt of NOC from Election Commission in view of Model code of conduct, regular changes in provisions of GST law and non-empanelment of major/important News/Business channels by Directorate of Advertising and Visual Publicity.

(ख) “संग्रहण प्रभार” –

(b) “Collection Charges” -

(i) “आयुक्तालय” – ₹306076.10 लाख के मूल प्रावधान को ₹81901.19 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹387977.29 लाख कर दिया गया जो, तथापि, ₹4837.75 लाख की सीमा तक रिक्त पदों को भरे न जाने, छुट्टी यात्रा रियायत/गृह नगर रियायत/वर्दी भत्ते के लिए दावों का समाशोधन न होने, किराया मामलों का

(i) “Commissionerates” - the original provision of ₹306076.10 lakhs was augmented to ₹387977.29 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹81901.19 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹4837.75 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, non-clearance of

संशोधन न होने, कम न्यायालय शुल्क जमा करने के लिए रजिस्ट्री से मांग प्राप्त न होने और आईटी संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण अप्रयुक्त रहा।

- (ii) “प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीईसी के वेतन एवं लेखा कार्यालय (केंद्रीय उत्पाद शुल्क)” – ₹6164.90 लाख के मूल प्रावधान को ₹3709.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹9873.90 लाख कर दिया गया जो, तथापि, ₹1041.02 लाख की सीमा तक रिक्त पदों को न भरे जाने, आईटी संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए कम निधियों की आवश्यकता तथा किफायत के उपायों के कारण अप्रयुक्त रहा।

(IV) मुख्य शीर्ष “2037” – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “राजस्व-सह-आयात/निर्यात व्यापार नियंत्रण कार्य” –

- (क) “केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला” – ₹624.83 लाख की बचत (₹2234.20 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किराया संशोधन मामलों का निपटान न होने, राजस्व प्रयोगशालाओं के अपग्रेडेशन के लिए उपकरणों की आपूर्ति न किए जाने तथा किफायत उपाय किए जाने के कारण हुई।

- (ख) “प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीईसी के वेतन एवं लेखा कार्यालय (सीमा शुल्क)” – ₹296.17 लाख की बचत (₹1279.30 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने तथा छुट्टी यात्रा

claims towards leave travel concession/home town concession/uniform allowance, non-revision of rent cases, non-receipt of demand from Registry for deposit of Deficit court fees and requirement of less funds towards purchase of IT related equipments.

- (ii) “Pay & Accounts Offices (Central Excise) of Principal Chief Controller of Accounts, CBEC” - the original provision of ₹6164.90 lakhs was augmented to ₹9873.90 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹3709.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹1041.02 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards purchase of IT related equipments and economy measures.

(IV) Under Major Head “2037” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Revenue-cum-Import/Export Trade Control Functions” -

- (a) “Central Revenues Control Laboratory” - saving of ₹624.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2234.20 lakhs) was due to non-settlement of rent revision cases, non-supply of equipments towards upgradation of Revenue Laboratories and economy measures.

- (b) “Pay and Accounts Offices (Customs) of Principal Chief Controller of Accounts, CBEC” - saving of ₹296.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1279.30 lakhs)

रियायत/गृह नगर रियायत के लंबित दावों का समाशोधन न होने के कारण हुई।

was due to non-filling up of vacant posts and non-clearance of pending claims of leave travel concession/home town concession.

(खा) “आरक्षित निधि तथा जमा लेखे को अंतरण – सीमा शुल्क कल्याण निधि को अंतरण” – ₹3045.50 लाख की बचत (₹6091.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कल्याण निधि को कम अंतरण किए जाने के कारण हुई।

(B) “Transfer to Reserve Fund and Deposit Account - Transfer to Customs Welfare Fund” - saving of ₹3045.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6091.00 lakhs) was due to less transfer to Welfare Fund.

(गा) “अन्य व्यय – विभागीय कैटीनें” – ₹232.97 लाख की बचत (₹750.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(C) “Other Expenditure - Departmental Canteens” - saving of ₹232.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹750.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(V) मुख्य शीर्ष “2038” – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(V) Under Major Head “2038” - savings occurred under the following heads:-

(का) “निदेशन और प्रशासन” –

(A) “Direction and Administration” -

(क) “सतर्कता” – ₹886.30 लाख की बचत (₹3415.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किराया संशोधन मामलों का निपटान न किए जाने, सरकारी वकीलों से विधिक बिलों की कम प्राप्ति होने, आईटी उपकरणों तथा कार्यालय संबंधी सामानों की खरीद के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(a) “Vigilance” - saving of ₹886.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3415.50 lakhs) was due to non-settlement of rent revision cases, less receipt of legal bills from Government counsels, requirement of less funds towards purchase of IT equipments and office related articles.

(ख) “सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, समझौता आयोग” – ₹355.02 लाख की बचत (₹1710.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, किराया संशोधन मामलों का निपटान न होने के कारण हुई।

(b) “Customs and Central Excise, Settlement Commission” - saving of ₹355.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1710.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-settlement of rent revision cases.

(ग) “अग्रिम विनिर्णय, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण” – ₹543.40 लाख की बचत (₹607.20 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, किराया संशोधन मामलों का निपटान न होने तथा किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(c) “Authority for Advance Ruling, Customs and Central Excise” - saving of ₹543.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹607.20 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-settlement of rent revision cases and economy measures.

(खा) “अन्य व्यय” –

(क) “स्थल सीमा शुल्क का संग्रहण” – ₹432.31 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, किराया संशोधन मामलों का निपटान न किए जाने के कारण हुई।

(ख) “अन्य मदें” – ₹606.34 लाख की बचत (₹1718.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा मरम्मत कार्य पूरा न किए जाने के कारण हुई।

(ग) “विभागीय कैटीनें” – ₹405.87 लाख की बचत (₹937.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने के कारण हुई।

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹90.00 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 23 प्रतिशत थी।

3. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष “2037” – “निवारक और अन्य कार्य – संभारिकी निदेशालय” के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई – ₹175.08 लाख का अधिक व्यय (₹2678.85 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति और अधिक दौरे किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹4265.00 लाख) जुलाई, 2017 तथा मार्च, 2018 में प्राप्त किए गए ₹16358.00 लाख के पूरक अनुदान का 26 प्रतिशत तथा कुल स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

(B) “Other Expenditure” -

(a) “Collection of Land Customs” - saving of ₹432.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-settlement of rent revision cases.

(b) “Other Items” - saving of ₹606.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1718.00 lakhs) was due to non-completion of repairing works by Central Public Works Department.

(c) “Departmental Canteens” - saving of ₹405.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹937.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(VI) Under one head saving of ₹90.00 lakhs occurred constituting 23 percent of the sanctioned provision.

3. The above savings were partly offset by excess under Major Head “2037” - “Preventive and Other Functions - Directorate of Logistics” - excess of ₹175.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2678.85 lakhs) was due to requirement of additional funds towards re-imburement of medical claims and more tours undertaken.

4. In the capital section of the grant, the overall savings (₹4265.00 lakhs) constituted 26 percent of the supplementary grants of ₹16358.00 lakhs obtained in July, 2017 and March, 2018 and 11 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

अधिक व्यय+
Excess+
बचत-
Saving -
(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "4047"	Major Head "4047"				
अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Fiscal Services				
मू.	O.	7000.00			
			5800.00	5392.03	-407.97
पु.	R.	-1200.00			
मुख्य शीर्ष "4059"	Major Head "4059"				
लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	12807.00			
पू.	S.	1.00	12008.00	12547.53	+539.53
पु.	R.	-800.00			
मुख्य शीर्ष "4216"	Major Head "4216"				
आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	3000.00			
पू.	S.	16357.00	18357.00	16960.44	-1396.56
पु.	R.	-1000.00			

(I) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹100.00 लाख का प्रावधान पूर्ण रूप से अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹100.00 lakhs remained wholly unutilized under one head.

(II) मुख्य शीर्ष ₹4216" – "सरकारी आवासीय भवन – सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन – तैयार फ्लैटों का अधिग्रहण" – ₹3000.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹16357.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹19357.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, ₹2396.56 लाख की सीमा तक तैयार रिहायशी आवासों की खरीद/रिहायशी आवासों के निर्माण के लिए विभिन्न प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और निर्माण कार्य

(II) Under Major Head "4216" - "Government Residential Buildings -Residential Buildings for Customs and Central Excise Employees-Acquisition of Ready-built Flats" - the original provision of ₹3000.00 lakhs was augmented to ₹19357.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹16357.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹2396.56 lakhs - due to non-finalisation of various

परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष “4047” – “सीमा शुल्क – निवारक तथा अन्य कार्य” के अंतर्गत ₹1607.97 लाख की बचत (₹7000.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) श्रेणी-। तथा श्रेणी-।। नौकाओं की बकाया राशि का भुगतान न होने और कंटेनर स्कैनर के जरिए 3 ड्राइव की कमीशनिंग को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “4059” – “कार्यालय भवन – अन्य व्यय – तैयार आवासों का अधिग्रहण” के अंतर्गत ₹160.47 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹12708.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भूमि के अधिग्रहण/कार्यालय भवन के निर्माण तथा तैयार कार्यालय स्थल की खरीद के लिए विभिन्न प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

proposals for purchase of ready build residential/ construction of residential accommodation and non-finalisation of works projects.

(III) Under Major Head “4047” - “Customs- Preventive and other Functions” - saving of ₹1607.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7000.00 lakhs) was due to non-payment of balance amount of category I and category II boats and non-finalisation of commissioning of 3 Drive through Container Scanners.

(IV) Under Major Head “4059” - “Office Buildings - Other Expenditure - Acquisition of Ready-built Accommodation” - saving of ₹160.47 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹12708.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to non-finalisation of various proposals for acquisition of land/construction of office building and purchase of ready build office accommodation.